

न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थित: अनिल कुमार-X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०.....1026/2022

(कंप्यूटर रजि०नं० 3110/2022)

सरकार

बनाम

योगेश मलिक आदि

अंतर्गत धारा-147,148,323/149,336,307/149,504,

506 भा०द०सं०

थाना-मोदीनगर गाजियाबाद।

मु० अ० सं०-423/2019

मैमोरेण्डम

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण आलोक सिंघल, एल०आर०शर्मा, प्रदीप कुमार, मूलचन्द, योगेश मलिक एवं वीरपाल पिलानिया उर्फ राहुल जमानत पर उपस्थित आए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्क आरोप सृजित किये जाने के बिंदु पर सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण आलोक सिंघल, एल०आर०शर्मा, प्रदीप कुमार एवं मूलचन्द के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा-147,148,323/149,336,504, 506 भा० द० सं० के अंतर्गत एवं अभियुक्तगण योगेश मलिक एवं वीरपाल पिलानिया उर्फ राहुल के विरुद्ध धारा-147,148,323/149,336,307/149,504, 506 भा०द०सं०आरोप विरचित किए जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप सृजित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 29-08-2024 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण तलब हों।

(अनिल कुमार-X)

सत्र न्यायाधीश

गाजियाबाद।

दिनांक 26.07.2024

न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थित: अनिल कुमार-X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०.....1026/2022

(कंप्यूटर रजि०नं० 3110/2022)

सरकार

बनाम

योगेश मलिक आदि

अंतर्गत धारा-147, 148, 323/149, 336, 307/149, 504,
506 भा०द०सं०

थाना-मोदीनगर गाजियाबाद।

मु० अ० सं०-423/2019

आरोप

मैं, अनिल कुमार-X, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्तगण योगेश मलिक एवं वीरपाल पिलानिया उर्फ राहुल को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ-

प्रथम: यह कि दिनांक 01.05.2019 को समय 10.45 बजे स्थान मोदी कपड़ा मिल मोदीनगर अंतर्गत सीमा थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद में आप अभियुक्तगण द्वारा चार अन्य साथियों के साथ मिलकर एकराय होकर विधिविरुद्ध जमाव कर सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करते हुए बलवा करने के लिए अवैध समूह का निर्माण किया। इस प्रकार आपने भा० द० सं० की धारा-147 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय: यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा चार अन्य साथियों के साथ मिलकर एकराय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उक्त अवैध समूह का निर्माण कर आधुनिक व घातक शस्त्रों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया। इस प्रकार आपने भा० द० सं० की धारा-148 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय: यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा चार अन्य साथियों के साथ मिलकर एकराय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आपने वादी व मिल के कर्मचारियों को स्वेच्छया मारपीट कर चोटें पहुँचायी। इस प्रकार आपने भा० द० सं० की धारा-323/149 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ: यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में आप अभियुक्तगण द्वारा चार अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी व अन्य मिल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गयी तथा उक्त कार्य इतने उतावलेपन या उपेक्षा से किया गया जिससे मिल के कर्मचारियों के जीवन अथवा वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो सकता था। इस प्रकार आपने भा० द० सं० की धारा-336 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम: यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी व मिल के अन्य कर्मचारियों को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी जिसमें संतोष, अब्बास अली एवं बिरमा को गंभीर चोटें आयीं। आप अभियुक्तगण द्वारा इस आशय, ज्ञान व परिस्थिति में उक्त व्यक्तियों को गंभीर चोटें पहुँचाई गयी कि यदि आपके द्वारा पहुँचाई गई चोटों से उनकी मृत्यु हो जाती तो आप अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आपने भा० द० सं० की धारा-307/149 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्ठम: यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा चार अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से वादी व मिल के अन्य

कर्मचारियों को गाली गलोच देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0 द0 सं0 की धारा-504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

सप्तमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा चार अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी व मिल के अन्य कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कायम किया। इस प्रकार आपने भा0 द0 सं0 की धारा-506 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के सम्बंध में आप अभियुक्तगण का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक 26.07.2024

(अनिल कुमार-X)

सत्र न्यायाधीश

गाजियाबाद।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(अनिल कुमार-X)

सत्र न्यायाधीश

गाजियाबाद।

दिनांक 26.07.2024